

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर /भोपाल बेंच म० प्र०

नि० प्र० क्र० :-.....

1. रविशंकर आयु वयस्क
आ० श्री वंशीलाल

नि० प्र० क्र० - 4075-II-15

2. विनोद आयु वयस्क
आ० श्री वंशीलाल
जाति ब्राह्मण

निवासीगण ग्राम फुलाडा, तहसील-रेहटी (बुधनी)
जिला सीहोर म० प्र०

आवेदकगण

विरुद्ध

श्रीमती गंगा बाई पुत्री श्री वंशीलाल
पत्नी श्री सुदामा प्रसाद तिवारी
निवासी-ग्राम फुलाडा, तहसील रेहटी,
हाल -प्लॉट नंबर- पी-4
सैनिक सोसायटी, शक्तिनगर
जबलपुर म० प्र०

अनावेदिका

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5(1) म० प्र० राजस्व संहिता

निगरानीकर्तागणों की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :-


श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक- 54/अपील/13-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.10.2015 जिसके तहत तहसीलदार तहसील रेहटी के राजस्व प्रकरण क्रमांक-165/अ-27/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 19.07.2014 को समयावधि में मान्य किया गया है उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानीकर्तागणों के द्वारा निम्नानुसार निगरानी आवेदन प्रस्तुत है :-

तथ्य

1. यह कि ग्राम गाजीत प० ह० नं०-13 तहसील रेहटी (बुधनी) जिला

R- 4075-II/15

सी. ए. २



22/6/16

आपके एवं उनके अधिकारों का
 अनुमान 42 प्रकार का है। परन्तु यह
 अनुमान ही आपके एवं उनके अधिकारों
 का अनुमान है। प्रकृत अर्थ में
 सादर विदा लता है। प्रकृत अर्थ में
 धन्य है।

22/6/16

W